प्रेस नोट दिनांक 15.11.2024
थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना अंतू पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

हत्या, छेडखानी, पॉक्सो, मारपीट व आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त 05 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंतू में गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत-

गिरोह लीडर रुस्तम पुत्र शेर आलम जनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है जो हत्या, छेडखानी, पॉक्सो, मारपीट व आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में संलिप्त है-

गिरोह का लीडर रुस्तम पुत्र शेर आलम व सभी 04 सदस्य पूर्व से जेल में है निरुद्ध-

दिनांक 06.06.2024 को वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए कहा कि तुझे व तेरे भाई को जान से मार देंगे तत्पश्चात पीड़िता के भाई के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। शव को लोहंगपुर बाईबास पुल के नीचे फेक दिया जिसके सम्बन्ध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 296/24 धारा 302/201/34/354 क/506 भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3(1) ब , 3 (2) V A, 3(2) V SC/ST Act पंजीकृत किया गया।

विवेचनोपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302/201/34/354 क/506 भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3(1) ब , 3 (2) V A, 3(2) V SC/ST Act व 5/27 आर्म्स एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट विरूद्ध अभियुक्तगण असफाक उर्फ गोरे लाल व सलामत के विरूद्ध तथा अन्तर्गत धारा 302/201/34/354 क/506 भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3(1) ब , 3 (2) VA, 3(2)V SC/ST Act व 7/8 पाक्सो एक्ट विरूद्ध अभियुक्तगण इकबाल व रूस्तम के विरूद्ध एवं अन्तर्गत धारा 302/201/34/506/120B भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3 (2) V A, 3(2) V SC/ST Act अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.07.2024 को प्रेषित किया गया है। जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

प्रतापगढ़।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक,पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 14.11.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के (गैंग लीडर) रुस्तम पुत्र शेर आलम निवासी ग्राम रामगढी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ व (गैंग सदस्य) क्रमशः 1.असफाक उर्फ गोरे लाल पुत्र अनवर निवासी लोहगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 2. सलामत पुत्र नन्हे निवासी लोंहगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 3. इकबाल पुत्र नन्हे निवासी लोहगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ 4. अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 601/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का बनाम 05 अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरोह का लीडर व सभी सदस्य पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

घटना का पूर्व का विवरण-
अभियुक्त (गैंग लीडर) रुस्तम पुत्र शेर आलम निवासी ग्राम रामगढी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ व गैंग सदस्य क्रमशः 1.असफाक उर्फ गोरे लाल पुत्र अनवर निवासी लोहगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 2. सलामत पुत्र नन्हे निवासी लोंहगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 3. इकबाल पुत्र नन्हे निवासी लोहगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ 4.

अभियुक्ता के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है एवं हत्या, छेडखानी व मारपीट जैसी घटनायें कारित करते हैं।

इस गिरोह द्वारा दिनांक 06.06.2024 को गिरोह के सरगना रूस्तम व गैंग सदस्यगण इकबाल, सलामत, असफाक उर्फ गोरेलाल उपरोक्त ने वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री जो शौच करने जा रही थी उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की। पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर उक्त लोगो ने जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए कहा कि तुझे व तेरे भाई को जान से मार देंगे तत्पश्चात उक्त अभियुक्तगण ने गैंग सदस्य नूरजहाँ के साथ मिलकर पीड़िता के भाई विनोद कुमार कोरी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। शव को लोहंगपुर बाईपास पुल के नीचे फेक दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0-296/24 धारा- 302/201/34/354 क/506 भा0द0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब , 3(2)VA, 3(2)V SC/ST Act पंजीकृत हुआ। -

विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302/201/34/354 क/506 भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3(1) ब , 3 (2) V A, 3(2) V SC/ST Act व 5/27 आर्म्स एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट विरूद्ध अभियुक्तगण असफाक उर्फ गोरे लाल व सलामत के विरूद्ध तथा अन्तर्गत धारा 302/201/34/354 क/506 भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3(1) ब , 3 (2) VA, 3(2)V SC/ST Act व 7/8 पाक्सो एक्ट विरूद्ध अभियुक्तगण इकबाल व रूस्तम के विरूद्ध एवं अन्तर्गत धारा 302/201/34/506/120B भा0द0वि0 व 3(1)द , 3(1) ध , 3 (2) V A, 3(2) V SC/ST Act अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

गैंग लीडर व गैंग सदस्य का आपराधिक इतिहास-

01.(गैंग लीडर) रूस्तम पुत्र शेर आलम उम्र 42 वर्ष निवासी रामगढ़ी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-51/17 धारा-302, 201 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0-202/17 धारा-419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-75/23 धारा-147, 323, 354क, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द ,3(1)ध, 3(2)(va) SC/ST ACT थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0-296/24 धारा-201, 302, 34, 354क, 506, 120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)(va), 3(2)(V) SC/ST ACT थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

02. असफाक उर्फ गोरेलाल पुत्र अनवर उम्र 19 वर्ष निवासी लोहंगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-296/24 धारा-201, 302, 34, 354क, 506, 120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)(va), 3(2)(V) SC/ST ACT थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

03. सलामत पुत्र नन्हे उम्र 32 वर्ष निवासी लोहंगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-296/24 धारा-201, 302, 34, 354क, 506, 120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)(va), 3(2)(V) SC/ST ACT थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

04. इकबाल पुत्र नन्हे उम्र 38 वर्ष निवासी लोहंगपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-296/24 धारा-201, 302, 34, 354क, 506, 120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)(va), 3(2)(V) SC/ST ACT थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

05. अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-296/24 धारा-201, 302, 34, 354क, 506, 120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)(va), 3(2)(V) SC/ST ACT थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बयान– जीरी टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा। शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें।

डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
हत्या का प्रयास, मार-पीट, गाली- गलौज करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत सगरासुन्दरपुर बाबूगंज तिराहे के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-
दिनांक 16.08.2024 की सुबह को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शकूहाबाद में वादनी को विपक्षीगणो द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना, मार- पीट करना, हत्या का प्रयास किया गया था-

घटना स्थल का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.08.2024 की सुबह को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शकूहाबाद में वादनी को विपक्षीगणो द्वारा जाति सूचक गाली- गलौज देते हुए मार- पीट करना, हत्या का प्रयास करने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 336/2024 धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 117(2), 352, 351(3), 333 बीएनएस बनाम 05 अभियुक्तो, 01.नौसाद, 02. शहूबाज, 03. रुस्तम, 04. इमरान, 05. प्रिन्स उर्फ मुन्नू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लीलापुर के प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 विजय यादव, का0 पवन यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 336/2024 धारा 191(2), 191(3), 109,115(2), 117(2), 352,351(3), 333 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मो0 इमरान खान पुत्र मो0 नसीम खान निवासी शकूहाबाद थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लीलापुर के सगरासुन्दरपुर बाबूगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मो0 इमरान खान पुत्र मो0 नसीम खान निवासी शकूहाबाद थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 विजय यादव, का0 पवन यादव थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 पवन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केस नं0 4586/2020 मु0अ0सं0 308/90 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त दशाराम वर्मा उर्फ दशई पुत्र रामअजौर वर्मा निवासी ग्राम टीना थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- दशाराम वर्मा उर्फ दशई पुत्र रामअजौर वर्मा निवासी ग्राम टीना थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 पवन यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 आशीष पटैरिया मय हमराह सुरेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 3149/2023 धारा 323/325/504 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामकरन सिंह पुत्र रामसुन्दर सिंह निवासी सरायमकई थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- रामकरन सिंह पुत्र रामसुन्दर सिंह निवासी सरायमकई थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आशीष पटैरिया मय हमराह सुरेश कुमार थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर के उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे, पीआरडी राजकुमार वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी नं0 213/2018, मु0अ0सं0 126/2012 धारा 147/323/325/304 भादवि थाना सांगीपुर से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त संजय सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी वीरशाहपुर थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- संजय सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी वीरशाहपुर थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे, पीआरडी राजकुमार वर्मा थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 15.11.2024
थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
अपहरण/ दुष्कर्म/ पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के पनाहनगर बरई नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 22.10.2024 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में अन्तर्गत धारा 363/366/376/323/504/506 भादिव व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम करमचन्द्र पटेल, महेश पटेल, कल्पना, करमचन्द्र पटेल का बहनोई नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॓0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा के प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अरविन्द्र सिंह, का0 रामप्रताप द्वारा धारा 363/366/376/323/504/506 भादिव व ¾ पॉक्सो एक्ट में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त करमचन्द्र पटेल पुत्र फूलचन्द्र पटेल निवासी सराय संग्राम सिंह(हापिस का पुरवा) थाना लालगंज, प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के पनाहनगर बरई नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- करमचन्द्र पटेल पुत्र फूलचन्द्र पटेल निवासी सराय संग्राम सिंह(हापिस का पुरवा) थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अरविन्द्र सिंह, का0 रामप्रताप थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 15.11.2024 जनपद प्रतापगढ़
थाना कोतवाली देहात

हत्या की घटना का सफल अनावरण, थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम द्वारा 03 शातिर हत्यारे को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज रेंज, प्रयागराज द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 50000/- रुपये का किया गया था ईनाम घोषित -

थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम द्वारा 50000/- रुपये के इनानियां अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम की मदद से इलेक्ट्रॉनिक/ मैनूअल साक्ष्यों के आधार पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भुपियामऊ ओवर ब्रिज के पास से किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों उपरोक्त के कब्जे से लूट की स्विफ्ट डिजायर कार व एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया-

दिनांक 01.11.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाने वाली हाईवे पर सड़क से दाहिने तरफ झाडियों के बीच ओला कार चालक का शव मिला था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 01.11.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाने वाली हाईवे पर सड़क से दाहिने तरफ झाडियों के बीच 01 शव मिला था। शव के शिनाख्त से पहचान मो0 जफर पुत्र जहीर उम्र 27 वर्ष अहमद निवासी भौली थाना रुदौली, जनपद अयोध्या के रूप में हुई थी। तात्कालिक जांच से ज्ञात हुआ है कि मृतक ओला कार को लखनऊ में चलाता था। लखनऊ से कुछ व्यक्तियों द्वारा ओला कार को बुक किया गया था। उक्त घटना के संबंध में मु0अ0सं0- 351/2024 धारा 103(1)/238/311 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस अधीक्षक, (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। एसओजी व फोरेंसिक टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया गया था। थाना कोतवाली देहात में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के पर्वेक्षण में दिनांक 15.11.2024 को प्र0नि0 अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय, उ0नि0 श्री अखिलेश प्रताप, उ0नि0 श्री राहुल कुमार, कां0 संतोष यादव, कां0 कुशाल सिंह, कां० विश्वदीप, कां० किशन यादव, का0 विजय वघेल, का0 रितनेश व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 धनन्जय राय, हे0का0 राजीव, का0 अरविन्द दुबे, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 आशूतोष पाण्डेय, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह द्वारा सर्विलांस टीम हे0का0 पंकज दुबे, का0 प्रवीन कुमार, का0 सनोज कुमार, का0 संजय सिंह, का0 अनुपम पाथरे के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक/ मैनूअल साक्ष्यों के आधार पर मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0- 351/2024 धारा 103(1)/238/311 बीएनएस सें संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मो0 साहिल सुत मो० शमीम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी सरह सुभागा फरीदीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर 2. जांबाज सुत इजराइल निवासी ग्राम भरतीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र 21 वर्ष 3. मोहर्रम सुत मो0 सफीक निवासी बाबागंज थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 19 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भुपियामऊ ओवर ब्रिज के पास से अभियुक्तों के कब्जे से लूट की स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों उपरोक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 359/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो० साहिल सुत मो0 शमीम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी सरह सुभागा फरीदीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग जनपद सुल्तानपुर में थाना गोसांईगंज क्षेत्र के रहने वाले है। हमारे गांव पास – पास ही है। हम तीनो ने मिलकर यह योजना बनाई कि लखनऊ चलकर कोई न कोई चार पहिया वाहन लूटेंगे एवं उसे बेंचकर जो पैसा मिलेगा उसे तीन हिस्सों में बांट लेगें। इसी सहमित के आधार पर हम तीनो बस में बैठकर लखनऊ चारबाग उतरे। लखनऊ पहुंच कर हम तीनो ने योजना बनायी कि किसी कार को बुक कराकर अपने जनपद सुल्तानपुर से अलग किसी दूसरे जिले में ले चलते है। वहां उस गाड़ी को लूटकर, चलकर कहीं बेंच देगें

। ओला टैक्सी गाड़ी जिसका नं0 UP 42 DT 4423 था को तीन हजार रुपये में बुक कर लिया । डिजायर कार व ड्राइवर के साथ लखनऊ-सुल्तानपुर-जौनपुर हाइवे से होते हुए प्रतापगढ़ आ गये। फिर हम लोग जैसे ही प्रतापगढ़ शहर से बाहर इलाहाबाद की ओर निकले तो प्रतापगढ़-इलाहाबाद हाइवे पर लगभग 4 किमी0 चलने के बाद वन-वे हो गया। एक तरफ की रोड़ बन रही थी कि तभी हमने ड्राइवर से यू-टर्न लेने को कहा जिस पर टैक्सी का ड्राइवर यू-टर्न लेकर जैसे ही प्रतापगढ़-प्रयागराज हाइवे पर प्रतापगढ़ की तरफ थोड़ी दूर चला कि साहिल ने गाड़ी को स्लो कराकर ड्राइवर का मुंह दबा लिया। दूसरे हाथ से हैण्डब्रेक खींच दिया एवं ड्राइवर के पीछे की तरफ पिछली सीट पर जांबाज ने बेल्ट की मदद से ड्राइवर का गला पीछे की तरफ खींच लिया। मोहर्रम ने हाथ पकड़ लिये। गाड़ी हल्की सी डगमगाई तभी पीछे से जांबाज ने गाड़ी की चाभी निकाल दी। गाड़ी तब तक रुक चुकी थी और ड्राइवर बेहोश हो गया था फिर गाड़ी से जांबाज उतरकर बाहर से ड्राइविंग सीट पर आया। मोहर्रम व साहिल ने ड्राइवर को पीछे की तरफ खींच लिया। जांबाज धीरे – धीरे गाड़ी चलाता रहा व साहिल, मोहर्रम ने फिर से बेल्ट की सहायता से गले में फंदा बनाकर ड्राइवर का गला कस दिया। फिर थोड़ा और आगे चलकर प्रतापगढ़ की तरफ हाइवे के किनारे झाड़ियों में हम तीनो ने ड्राइवर को फेंककर, उसकी गाड़ी को लेकर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 साहिल सुत मो० शमीम निवासी सरह सुभागा फरीदीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर।
2. जांबाज सुत इजराइल निवासी ग्राम भरतीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर।
3. मोहर्रम सुत मो0 सफीक निवासी बाबागंज थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

2-मो0 साहिल सुत मो0 शमीम निवास सराय सुभागा थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 440/2023 धारा 379/411/413/420 भादंवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
2. मु0अ0सं0- 468/2023 धारा 379/411/413 भादंवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
3. मु0अ0सं0- 516/2023 धारा 379/411/413 भादंवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
4. मु0अ0सं0- 517/2023 धारा 379/411/413/420 भादंवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
5. मु0अ0सं0- 282/2023 धारा 379/411 भादंवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
6. मु0अ0सं0- 161/2023 धारा 379/411 भादंवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
7. मु0अ0सं0- 51/2023 धारा 379/411 भादंवि थाना जंसा , गोमती कमिश्नरेट वाराणसी।
8. मु0अ0सं0- 130/2024 धारा 3(1) उ.प्र. समाज विरोधी क्रि.कलाप 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
9.

2- जाबाज कुरैशी पुत्र मो0 इजराइल कुरैशी नि0 भरथीपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 93/23 धारा 2/3(1) उ.प्र. समाज विरोधी क्रि.कलाप 1986 थाना-कूरेभार, सुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0- 302/22 धारा 3/5A8 गो वध व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कूरेभार, सुल्तानपुर
3. मु0अ0सं0- 85/24 धारा 323/34/427/504/506 भादवि थाना-गोसाईगंज, सुल्तानपुर
4. मु0अ0सं0- 241/23 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना-गोसाईगंज,सुल्तानपुर

पुलिस टीम का विवरण- प्र0नि0 अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय, उ0नि0 श्री अखिलेश प्रताप, उ0नि0 श्री राहुल कुमार, कां0 संतोष यादव, कां0 कुशाल सिंह, कां० विश्वदीप, कां० किशन यादव, का0 विजय वघेल, का0 रितनेश थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ज।

स्वाट टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 धनन्जय राय, हे0का0 राजीव, का0 अरविन्द दुबे, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 आशूतोष पाण्डेय, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, जनपद प्रतापगढ़

सर्विलांस टीम- हे0का0 पंकज दुबे, का0 प्रवीन कुमार, का0 सनोज कुमार, का0 संजय सिंह, का0 अनुपम पाथरे जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 15.11.2024 जनपद प्रतापगढ़
थाना संग्रामगढ़

प्रतापगढ़ में चार शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान और हथियार बरामद

प्रतापगढ़ पुलिस ने संग्रामगढ़ क्षेत्र में चार वांछित चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी का सामान और अवैध हथियार बरामद हुए

पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 किलो चांदी, 27 ग्राम सोना, ₹61,100 नकद और दो अवैध तमंचे बरामद किए गए

आरोपियों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की

-आरोपियों के गिरोह में छह लोग शामिल थे, जिन्होंने चोरी से मिले पैसों और सामान का आपस में बंटवारा कर उसे बेच दिया

पुलिस ने आरोपियों की दो मोटरसाइकिलें भी सीज कीं, जिनका इस्तेमाल चोरी और भागने के लिए किया गया था
मानिकपुर, सांगीपुर, लीलापुर, लालगंज, कुंडा, महेशगंज,संग्रामगढ़ में हुई थी चोरी की घटनाएं*

प्रतापगढ़:
थाना संग्रामगढ़ पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो चोरी के कई मामलों में वांछित थे। अभियुक्तों ने मानिकपुर, सांगीपुर, लीलापुर, लालगंज, कुंडा, महेशगंज,संग्रामगढ़ क्षेत्रों में चोरी की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 किलो चांदी के आभूषण, 27 ग्राम सोने के गहने, ₹61,100 नकद और दो अवैध तमंचे (315 बोर और 12 बोर) बरामद किए गए। टीम ने मौके पर दो मोटरसाइकिल भी सीज कीं, जिन पर सवार होकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे।

थाना संग्राम गढ़ पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की जांच के दौरान, मुखबिर की सूचना पर नहर किनारे इलाके में घेराबंदी कर चार आरोपियों को हिरासत में लिया। चारों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन समय पर कार्रवाई से पुलिस ने उन्हें पकड़ा।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैकी कर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली। चोरियों में प्राप्त सामान को वे आपस में बांटकर बेच देते थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में राजकुमार वर्मा, दिनेश सरोज, अजय पटेल, और अनुज सरोज शामिल हैं। पुलिस को इनके घर से भी कुछ चोरी के आभूषण और नकदी मिली।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित चोरी करने का गिरोह है । गिरोह में चारों के अलावा प्रियांशू मिश्रा व शशिप्रकाश विश्वकर्मा भी शामिल है। हम लोग कई थाना क्षेत्रो में रैकी कर के चोरी की घटनाएं कर चुके हैं। चोरी में जो भी माल मिला उसे आपस में बांट कर बेच कर अय्यासी करते हैं। चोरी के ही पैसों से हम लोगों ने यह मोटर साईकिले भी खरीदी हैं।हम लोगों का यही पेशा है। अभियुक्तों ने पनिगौ, कस्बा मानिकपुर, तारापुर थाना सांगीपुर ,खण्डवा ,कटईया नेवादा ,लीलापुर ,धामापुर मजरे भोंगापुर थाना लीलापुर ,जगन्नाथपुर थाना लालगंज व वार्ड नं0 06 कस्बा लालगंज ,भवानीवक्स का पुरवा ओरीपुर संग्रामगढ ,लालूपट्टी थाना संग्रामगढ ,भरतगढ थाना संग्रामगढ ,कालू सिंह का पुरवा थाना संग्रामगढ ,गडगडा थाना कुण्डा ,नरियावां थाना महेशगंज ,पूरे गजई ,थाना महेशगंज में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है तथा बाबागंज में अगस्त महीने में जिला सहकारी बैंक में चोरी का प्रयास और उसी दिन भरतगढ में चोरी की घटना को अंजाम दिया था इन चोरियों में मिले जेवरातों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था जिसमें कई चोरियों का सामान हम लोगो नें अपने खर्चे के अनुसार राह चलते बेच दिया था।

अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 3 किलो चांदी के आभूषण, 27 ग्राम सोने के गहने, ₹61,100 नकद और दो अवैध तमंचे जब्त किए। आरोपियों के पास से बरामद दो मोटरसाइकिलें भी सीज की गई हैं। बरामद गहनों को चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित बताया गया है।

अभियुक्तों की पहचान-
1- राजकुमार वर्मा पुत्र दशाराम निवासी तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रातपगढ उम्र 25 वर्ष
2- दिनेश सरोज पुत्र वंशीलाल निवासी लालूपट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 45 वर्ष
3- अजय पटेल पुत्र जमुना प्रसाद निवासी चौखड थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 21 वर्ष
4- अनुज सरोज पुत्र जीतलाल सरोज निवासी खण्डवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास:-
1-राजकुमार वर्मा पुत्र दशाराम उम्र 22 वर्ष निवासी टीना चितरी थानी लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 535/23 धारा 457/380/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अंतू, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 270/2023 धारा 457/380/411 भादवि, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 355/2021 धारा 457/380/411 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 890/2020 धारा 419/420/467//468/471/411 भादवि थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 425/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अंतू, प्रतापगढ़।

2- दिनेश चन्द्र सरोज पुत्र वंशीलाल निवासी लालूपट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 129/2022 धारा 302 भादवि थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़

चोरी की इन 20 घटनाओं और मुकदमों का हुआ खुलासा:-
मु0अ0सं0 171/24 धारा 305 बीएनएस, थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 165/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 108/24 धारा 380/457 भादवि, थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 197/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 275/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 288 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 341/24 धारा 305 बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 342/24 धारा 305 बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 398/24 धारा 305 बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 400/24 धारा 305 बीएनएस थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 103/24 धारा 457/380 भादवि बीएनएस थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 243/24 धारा 457/380 भादवि थाना लालगंज, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 333/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 161/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना महेशगंज, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 229/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना महेशगंज, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 209/24 धारा 331(4)305 बीएनएस थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 187/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 195/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 146/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 194/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 प्रदीप कुमार राय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0अ0सं0 111/1994 धारा 323/504/324/326 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त दीनानाथ यादव पुत्र वल्देव यादव निवासी ग्राम वोर्रा थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- दीनानाथ यादव पुत्र वल्देव यादव निवासी ग्राम वोर्रा थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रदीप कुमार राय मय हमराह थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह उ0नि मृत्युंजय कुमार, म0का0 कल्पना शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 1419/19 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह उ0नि मृत्युंजय कुमार, म0का0 कल्पना शर्मा थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 15.11.2024
थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ0नि0श्री रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केस नं0 18045/23 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त कन्हैया उर्फ कन्धई पत्रु रामसुमेर निवासी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01 कन्हैया उर्फ कन्धई पत्रु रामसुमेर निवासी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0श्री रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।